निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1940 (श0)
(सं0 पटना 577) पटना, सोमवार, 18 जून 2018

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
15 जून 2018

सं0 10/मु. वापसी–63/2016–**2009**––भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 75 एवं धारा 76 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 49 एवं धारा 50 के अधीन ई–चालान के माध्यम से जमा किए गए गैर–न्यायिक स्टाम्प की राशि की वापसी के विनियमन के लिए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: –

01. नाम, विस्तार एवं प्रारंभः –

(1) यह नियमावली **बिहार स्टाम्प (ई–चालान से जमा गैर–न्यायिक स्टाम्प की राशि की वापसी) नियमावली, 2018** कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

02. वापसी हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

(1) ई–चालान से जमा स्टाम्प शुल्क की राशि, जिसका उपयोग जमाकर्त्ता अथवा पक्षकारों के द्वारा नहीं किया जा सका हो, की मूल्य वापसी के लिए इस नियमावली में विहित प्रपत्र–'क' में तीन प्रतियों में समाहर्त्ता, जिनके क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक में राशि जमा की गयी हो, के समक्ष स्टाम्प शुल्क जमा किए जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन दिया जाएगा।

(2) जमाकर्त्ता द्वारा आवेदन के साथ ई–चालान की पठनीय स्व–अभिप्रमाणित तीन प्रतियाँ संलग्न की जाएगी।

(3) राशि जमा किए जाने की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी स्थिति में वापसी के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि इस नियमावली के अधिसूचित होने के पूर्व जमा की गयी राशि की वापसी के लिए समाहर्त्ता के समक्ष इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छः माह के भीतर आवेदन दिए जा सकेंगे। इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि के छः माह बाद नियमावली के प्रकाशन के पूर्व जमा की गयी राशि के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

03. जमा राशि का सत्यापन :–नियम 2 के अधीन दिए गए आवेदन के आधार पर समाहर्त्ता द्वारा निम्नप्रकार से सत्यापित प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगाः –

(1) इस नियमावली में विहित प्रपत्र–'ख' में बैंक की संबंधित शाखा से जहाँ राशि जमा की गयी।

(2) इस नियमावली में विहित प्रपत्र–'ग' में संबंधित कोषागार पदाधिकारी से।

(3) कोषागार पदाधिकारी के समक्ष जैसे ही सत्यापन हेतु समाहर्त्ता का अनुरोध प्राप्त होगा उनका यह दायित्व होगा की वे संबंधित ई–चालान के जी0आर0एन0 को तत्काल अवरूद्ध कर देंगे।

(4) इस नियमावली में विहित प्रपत्र–'घ' में संबंधित अवर निबंधक एवं जिला अवर निबंधक से, जहाँ विलेख का निबंधित किया जाना आवश्यक था, कि ई–चालान द्वारा जमा राशि, जिसकी वापसी का दावा आवेदक द्वारा किया गया है, का उपयोग विलेख निबंधन के लिए नहीं किया गया है।

04. राशि की वापसी : –

(1) नियम 3 के अन्तर्गत प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदनों से संतुष्ट होते हुए यदि यह स्थापित होता हो कि आवेदन में उपदर्शित स्टाम्प शुल्क की राशि आवेदक द्वारा ई–चालान से जमा की गयी है एवं राशि का उपयोग लिखत निबंधन के लिए नहीं किया गया है, तो, जमा राशि की 10% (दस प्रतिशत) राशि, न्यूनतम 200/–रू. (दो सौ रूपए), अधिकतम 5000/–रू. (पांच हजार रूपए), की कटौती करते हुए शेष राशि की वापसी की जाएगी।

(2) ई–चालान द्वारा जमा राशि की वापसी का स्वीकृत्यादेश संबंधित जिले के समाहर्त्ता द्वारा निर्गत किए जाने के उपरांत संबंधित निबंधन कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर नियम–04 का उप–नियम (1) के आलोक में वापसी की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

प्रपत्र – 'क'

समाहर्त्ता .... के समक्ष ई–चालान से जमा स्टाम्प शुल्क की राशि की वापसी के लिए आवेदन

1. जमा की गयी स्टाम्प शुल्क की राशि ..../–रू. (शब्दों में ....)।
2. (i) स्टाम्प एवं अन्य शुल्क जमा करने वाले व्यक्ति का नाम : ....,
   (ii) पता : ....
   ....
3. स्टाम्प एवं अन्य शुल्क जमा करने का उद्देश्य : ....
   ....
4. जमा करने की तिथि : ....
5. बैंक का नाम एवं शाखा : ....
6. चालान का जी0आर0एन0 संख्या : ...., दिनांक : ....
   [ई–चालान की जमाकर्त्ता की प्रति की तीन पठनीय एवं स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न की जाएँ]
7. मूल्य वापसी का कारण : –...

● मैं ....घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गयी सूचना सही है। उपर्युक्त किसी सूचना के गलत पाए जाने के कारण यदि सरकार को क्षति होती है तो इसके लिए मैं दण्ड का भागी होऊँगा।

स्थान : ....

दिनांक : ....

....
जमाकर्त्ता (आवेदक)
का हस्ताक्षर

पता–

प्रपत्र – 'ख'

बैंक का सत्यापन प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि ..../–रू. (शब्दों में .... रूपए), दिनांक– .... को आवेदक श्री/श्रीमती .... द्वारा चालान में विहित शीर्ष में स्टाम्प एवं अन्य शुल्क के रूप में इस बैंक में जी0आर0एन0 नंबर ...., तारीख .... से जमा किया गया है।

बैंक प्रबंधक/प्राधिकृत
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक– ....

(बैंक की मुहर)

प्रपत्र – 'ग'

कोषागार पदाधिकारी का सत्यापन प्रतिवेदन

आवेदक के ई–चालान की प्रति एवं बैंक (बैंक का नाम एवं शाखा का नाम दें) ...., से इस कोषागार को तारीख .... को जमा राशि के प्राप्त स्क्रॉल से मिलान करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा स्टाम्प एवं अन्य शुल्क के रूप में राज्य सरकार की लेखा संख्या ....में श्री/श्रीमती .... द्वारा ..../–रू. (शब्दों में

....रूपए) दिनांक– .... को जमा किए गए हैं एवं उक्त चालान राशि से संबंधित जी0आर0एन0 को स्थायी रूप से अवरूद्ध कर दिया गया है।

कोषागार पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र – 'घ'

जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक का सत्यापन प्रतिवेदन

आवेदक के द्वारा दिए गए चालान की प्रति में उल्लिखित तारीख .... से आज दिनांक–........... .... तक निबंधित दस्तावेजों के सत्यापन से प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा .... (बैंक का नाम एवं शाखा) में जी0आर0एन0 संख्या–.., दिनांक–......................... .... से स्टाम्प एवं अन्य शुल्क की जमा की गयी राशि ..../–रू. (शब्दों में ....) का उपयोग जिला अवर निबंधन कार्यालय ..../अवर निबंधन कार्यालय .... के किसी दस्तावेज के निबंधन में नहीं किया गया है। उक्त जी0आर0एन को विभागीय डेटा सेन्टर से पूर्ण रूपेण अवरूद्ध करवा दिया गया है।

जिला अवर निबंधक/
अवर निबंधक का हस्ताक्षर
एवं मुहर

15 जून 2018

सं0 10/मु. वापसी–63/2016–**2009** उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 15th June 2018

No 3/Mu- Refund- 63/2016-**2009**— In exercise of the powers conferred by Section-75 and Section-76 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor of Bihar is pleased to frame the following rules to regulate the procedure of refund of amount of stamp duty deposited through e-Challan as Non-Judicial Stamp under Section-49 and 50 of the Indian Stamp Act, 1899: -

01. Name, Extent and Commencement.—

(1) This Rule shall be called the **Bihar Stamp (Refund of Amount of Non-Judicial Stamp Duty Deposited by e- Challan) Rules, 2018**.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

02. Procedure of Application for Refund. -

(1) The application for refund of stamp duty deposited through e-challan, which has not been or could not be utilized by the depositor or the parties, shall be filed in three copies in Form-A prescribed in this Rule, before the Collector of the district in whose jurisdiction the bank is located and where such amount has been deposited within one year from the date of deposit of stamp duty.

(2) The legible and self attested three photocopies of the depositor's copy of the e-Challan shall be enclosed along with the application by the depositor.

(3) After one year from the date of deposit of the amount the application for refund shall not be accepted in any case.

Provided that in the cases of amount deposited before the notification of this Rule, the application for refund may be made before the Collector within six months from the date of publication of this Notification in Official Gazette. After expiry of six months from the date of publication of these rules no application shall be accepted for refund of stamp duty deposited prior to the publication of this rule.

03. Verification of Deposited Amount.—On the basis of the application filed under Rule-2, the Collector shall obtain verification reports as follows: ---

(1) in Form-B, prescribed in this Rule, from the concerned branch of the Bank, where the amount was deposited.

(2) in Form-C, prescribed in this Rule, from the concerned Treasury Officer, and

(3) as soon as the treasury officer receives request of collector for verification, it will be his duty to immediately lock the related GRN of the e-challan.

(4) in Form-D, prescribed in this Rule, from the concerned Sub-Registrar and District-Sub-Registrar where the instrument was intended to be registered that the amount deposited by the e-Challan against which the application has claimed for refund has not been utilized in registration of any document.

04. Refund of Amount. —

(1) On being satisfied from the verification reports under rule-3, if it is established that the applicant has deposited the amount of stamp duty by e-Challan as indicated in the application and the amount has not been utilized for registration, the rest amount shall be refunded after deducting 10% of the deposited amount subject to a minimum of Rs. 200/- (Rupees two hundred) and a maximum of Rs. 5000/- (Rupees five thousand).

(2) After the issue of sanction order by the Collector of concerned district for the refund of amount deposited by the e-Challan, the Drawing & Disbursing Officer of the concerned registration office shall refund the amount in accordance with sub-rule (1) of rule-04 after drawing the amount.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to Government.

Form - 'A'

Application for refund of amount of Stamp duty deposited by e-Challan before the Collector/Commissioner.

01. The amount of stamp duty deposited Rs. ....(in words Rupees ....).

02. (i) Name of person by whom the amount of Stamp duty was deposited : ....

    (ii) Address : ....

03. Purpose of depositing stamp duty :

04. Date of deposit : ....

05. Name and branch of the Bank : ....

06. GRN No. of e-Challan : ...., dated : ....

    [Please enclose three photocopies of legible and self attested e-Challan].

07. Cause of refund :...

Declaration : I, ..., declare that the information given above by me is true and I shall be liable to be punished in case, that State Government suffers and loss on account of any above information given by me is found wrong.

Place : ....

Date : ....

....
Signature of the
depositor (applicant)

Address-

Form - 'B'

Verification report of the Bank

That is Certified that Rs. ....(in words Rupees ....) was deposited by the applicant Shri/Smt.. on .... against stamp duty in the prescribed head in the e-Challan vide GRN No. ...., dated................................ at this Bank.

Signature of Branch
Manger/authorised officer of the
Bank with

Dated : ....

(Seal of the Bank)

Form - 'C'

Verification report of the Treasury Officer

This is certified that, on comparison of depositor's copy of the e-Challan with the GRN of amount deposited on the date mentioned in the e-Challan sent to this treasury by the Bank (please give the name and Branch of the Bank)…………………………………………………………..

Rs. .... (in words Rupees ....) has been deposited by Shri/Smt... as stamp duty on .... in the Account head of the State Government and GRN related to the amount of e-challan is locked permanently.

Signature and seal of the
Treasury Officer.

Form - 'D'

Verification report of District Sub-Registrar/Sub-Registrar

On verification of instruments registered from ....(date of deposit of stamp duty by the applicant), till this date ...., it is certified that the amount of stamp duty of Rs…………………………………………………………................................ (in words ....Rupees) deposited by the applicant at (Name and Branch of the Bank) .... vide Scroll No. ...., dated .... has not been utilised for registration of any instrument at Sub-Registry Office ..../ District Sub-Registry Office ....

Signature and seal of the
District Sub-Registrar/
Sub-Registrar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 577-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in